न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 210/18 निर्णय दिनांकः 31.01.2019

1.	महेश कुमार	
2.	सुषमा	पुत्र/पुत्रियॉ स्व. संदीप कुमार जाति ब्राहमण
3.	मोनिका	निवासी वार्ड नम्बर 8, पीलीबंगा
4.	सुमन	जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 03—02—1990
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 03—02—1990 जिसके द्वारा अपीलांट को वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक 03—02—1990 को चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 166/7 के किला नम्बर 4 में 10 बिस्वा, 5 में 15 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 166/8 के किला नम्बर 3 ता 15 में 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। इसी आधार पर अपीलांट के नाम से उक्त भूमि का खाता खोला गया। आवंटन पश्चात् अपलांट द्वारा निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई परन्तु वादगत् भूमि का कब्जा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को प्रदान नहीं किया गया। क्योंकि उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर अन्यत्र भूमि आवंटन की मांग की जाती रही है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक अपीलांट को अन्यत्र भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—02—1990 के विरूद्व अपील दिनांक 07—05—2018 को पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही वन विभाग को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 03—02—1990 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07—05—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 29 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 166/7 व 166/8 में 22 बीघा कमाण्ड व 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी दिनांक 14—03—1990 को जारी कर दिया गया।

उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 166/7 के किला नम्बर 4 में 10 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 5 में 15 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 166/8 में 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि

अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही वन विभाग को आवंटितशुदा भूमि थी।

(2) इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलांट के पूर्व आवंटन का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलांट्स के पिता का पूर्व में विशेष आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका था। उक्त किश्तों के अभाव में खारिज आवंटन को बहाल कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा किश्तों के अभाव में खारिज आवंटन को पुनः बहाल किये जाने के आदेश दिनांक 04—04—2013 को प्रदान किये गये है।

(3) इस संबंध में हमारा अभिमत है कि जब किसी आवंटी का आवंटन किश्तों के अभाव में अथवा अन्य किसी विधिक कारणवश खारिज कर दिया जाता है तो उक्त खारिज आवंटन को बहाल किये जाने की शक्तियॉ सक्षम न्यायालय अर्थात सक्षम न्यायालय में अपील के माध्यम से ही किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है ना कि स्वयं अदालत मातहत को अपने खारिजी आदेश को बहाल किये जाने की शक्तियॉ प्रदत है।

(4) प्रस्तुत मामलें में दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा स्वयं किश्तों के अभाव में प्रार्थीगण के पिता का आवंटन खारिज करने के पश्चात् स्वयं ही प्रार्थीगण के पिता के आवंटन को बहाल किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई कार्यवाही है। अदालत मातहत को स्वयं के खारिजी आदेश को बहाल करने की शक्तियॉ कानून में प्रदत नहीं हैं। प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थीण को चाहिए था कि वे अपने खारिज आवंटन आदेश को बहाल कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोई करते हुए विधिक आदेश प्राप्त करना चाहिए था।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह देखा जाना अपरिहार्य नहीं है कि अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा करवा दी गई है अथवा नहीं? या वादगत् भूमि आज दिनांक को आराजीराज है अथवा नहीं?

वरन् यह देखा जाना अनिवार्य है कि क्या प्रार्थीगण द्वारा विधिक प्रक्रिया व कानून में प्रदत शक्तियों के विपरीत जाकर वादगत् भूमि के बाबत् बहाली आदेश प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा कानून में प्रदत शक्तियों के विपरीत व विधिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए अपने आवंटन को बहाल करवाया गया है। जिसकी आज्ञा कानून प्रदत नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बहाली आदेश जारी किया जाना परिलक्षित होता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत व न्यायपरक प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपीलांट/प्रार्थीगण के मूल आवंटन को खारिज किया जाना उचित पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलांट का मूल आवंटन बहाली आदेश दिनांक 04—04—2013 भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर